अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
किस्तुरा पुत्र जैसाराम वगैरा जाति मेगवाल निवासी कितपाला तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		चतराराम पुत्र वरदाराम वगैरा जाति मेगवाल निवासी झंझाणियों की ढाणी,कितपाला तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

मुकदमा संख्या 36 / 2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
29.01.2024	यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत की तरफ से अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण अधिवक्ता ओर से निवेदन किया कि विप्रार्थीगण की रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलबी जारी की जावें। रजिस्ट्री खर्चा प्रार्थीगण वहन करने के लिए सहमत है। तहसील स्तर पर सवारों की कमी को मदद्वेनजर रखतें हुए विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. नोटिस से तलब किया जावें। रजिस्ट्री खर्चो प्रार्थीगण वहन करेगे। प्रार्थीगण अधिवक्ता को नोटिस दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते–विप्रार्थीगण की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 16.2.24 को पेश हों। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
07.2.2024	वकील प्रार्थीगण के मूलवाद में प्रार्थना पत्र पेश कीए जाने पर पत्रावली पेशी तारीख पर ली गई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण प्रकरण को आगे चलाने नहीं चाहते हैं। चूंकि मूलवाद का निस्तारण हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	प्रार्थीगण की ओर से वाद पत्र / प्रार्थना पत्र आगे चलाना नहीं चाहते [illegible] [illegible] राम जस्साराम [?] [illegible] भूपेन्द्र गहलोत Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested